

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 02.06.2023

रि.या.(सि) 5135/2023 और सि.वि. आवेदन 20059/2023 (रोक)

राजिंदर नाथ कपूर

..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री सत्येन सेठी सह श्री
आर्तत्राना पांडा अधिवक्तागण
बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 47(1), और एक अन्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री गौरव गुप्ता, वरिष्ठ
स्थायी अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

गिरीश कठपालिया, न्या. (मौखिक) :

1. याचिकाकर्ता ने आकलन वर्ष 2016-17 के संबंधि में आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पारित 31.03.2023 के नोटिस और अधिनियम की धारा 148क(घ) के तहत 31.03.2023 के आदेश को रद्द करने और/या दरकिनार करने की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के

तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। रिट याचिका को प्रत्यर्थियों, आयकर अधिकारी और मुख्य आयकर आयुक्त की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से चुनौती दी गई थी। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।

2. संक्षेप में कहीं गई, वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं।

2.1 वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपने पिता और भाई के साथ 20.04.1982 को साझेदारी विलेख के माध्यम से मेसर्स कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट के नाम से एक साझेदारी फर्म का गठन किया और पैन कार्ड, जिसकी संख्या AAAFk4540P है, के तहत व्यवसाय शुरू किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता और उसके भाई ने नए साझेदारी विलेख को निष्पादित किया और उसी पैन कार्ड संख्या AAAFk4540P के तहत 29-12-2003 से 31-03-2004 तक व्यवसाय जारी रखा। दिनांक 01.04.2004 से मेसर्स कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट फर्म को भंग कर दिया गया और मेसर्स कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट के एकमात्र मालिक के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा फर्म के व्यवसाय को अपने कब्जे में ले लिया गया। आकलन वर्ष 1983-84 से 2004-05 के लिए फर्म ने पैन संख्या AAAFk4540P के तहत अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया। लेकिन इसके बाद, याचिकाकर्ता पैन कार्ड संख्या AASPK4955A के तहत अपने एकमात्र स्वामित्व वाली कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट का कारोबार कर रहा है। याचिकाकर्ता मुख्य रूप से चीन से इलेक्ट्रिक सामान के आयात और भारत में उसकी बिक्री में संलग्न है।

2.2 याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत 22.02.2023 को पहला नोटिस मिला, जो पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म को संबोधित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आकलन वर्ष 2016-17 के लिए आय का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था, जबकि फर्म ने 1,96,08,310/- रुपये (2,23,95,361/- रुपये के आकलन योग्य मूल्य) के आयात के माध्यम से उच्च मूल्य का लेनदेन किया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत 01.03.2023 को दूसरा नोटिस मिला, जिसमें पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म को संबोधित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 22.02.2023 के नोटिस में, कानून के प्रासंगिक प्रावधान को अधिनियम की धारा 149(1)(ख) के बजाय धारा 149(1)(क) के रूप में गलत तरीके से उद्धृत किया गया था।

2.3 इसके बाद अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत दिनांक 05.03.2023 को तीसरा नोटिस याचिकाकर्ता को मिला, जिसमें आरोप लगाया गया कि पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 2,23,95,361 रुपये के आकलन योग्य मूल्य के साथ 1,42,12,689/- रुपये का आयात किया था, लेकिन आकलन वर्ष 2016-17 के लिए आय का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था।

2.4 कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट के एकमात्र मालिक के रूप में याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.03.2023 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म के रूपांतरण के बाद पैन संख्या AASPK4955A के तहत संबंधित एकमात्र

स्वामित्व के व्यवसाय के उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया और यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत नोटिस में संदर्भित लेनदेन याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई बही खाते में विधिवत दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता ने सहायक दस्तावेज जैसे कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट की आय की रिटर्न की पावती की प्रतियां, कर ऑडिट रिपोर्ट के साथ 31.03.2016 तक बैलेंस शीट और लाभ और हानि विवरण, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए 1,79,07,727/- रुपये के आयात का विवरण, 12.5% और 5% की कर दर पर खरीद का बही खाता और 2015-16 के लिए त्रैमासिक वैट रिटर्न भी प्रस्तुत किए।

2.5 साझेदारी फर्म को फिर से संबोधित 27.03.2023 के एक अन्य नोटिस के माध्यम से, याचिकाकर्ता को फिर से अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, इसलिए 28.03.2023 को, याचिकाकर्ता ने 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि से संबंधित खरीद (आयात) का बहीखाता, उन पार्टियों का बही-खाता, जिनसे आयात किया गया था, सहायक दस्तावेजों और बैंक विवरणों के साथ खरीद चालान प्रस्तुत किए।

2.6 इसके बाद, अधिनियम की धारा 148क(घ) के तहत दिनांक 31.03.2023 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, संबंधित आयकर अधिकारी ने माना कि यह आकलन वर्ष 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला था। नतीजतन, याचिकाकर्ता के

खिलाफ अधिनियम की धारा 148 के तहत दिनांक 31.03.2023 को आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था।

2.7 इसलिए वर्तमान याचिका असतित्व में आई।

3. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 148क(घ) के तहत आक्षेपित आदेश और साथ ही अधिनियम की धारा 148 के तहत आक्षेपित नोटिस कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं क्योंकि इन्हें गैर-मौजूदा इकाई के नाम पर पारित और जारी किया गया था, क्योंकि इन्हें पैन संख्या AAAPK4540P के साथ मैसर्स कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट, साझेदारी फर्म जो अब अस्तित्व में नहीं है, को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट के एकमात्र मालिक के रूप में आय का रिटर्न दाखिल कर रहा था और प्रवेश बिल में साझेदारी फर्म के पैन का उल्लेख एक वास्तविक गलती थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने संबंधित स्वामित्व के बही-खातों में खरीद (आयात) को छिपाया नहीं था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राजस्व के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म के विघटन के बारे में सूचित करना चाहिए था और यह याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर छिपाने का मामला प्रतीत होता है। हालांकि, यह विवादित नहीं था कि इस तरह पारित और जारी किए गए आदेश और नोटिस का एक गैर-इकाई के खिलाफ प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है।

5. सुनवाई की पहली तारीख (24.04.2023) पर, एक विशिष्ट प्रश्न के जवाब में कि क्या पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म के विघटन के बारे में सूचना मूल्यांकन अधिकारी को दी गई थी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट के मालिक के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किया जा रहा था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को बैलेंस शीट और लाभ और हानि खातों के साथ-साथ आयात के लिए खरीद आदेश और चालान के साथ संबंधित आयकर रिटर्न को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था।

6. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 24.05.2023 को अपना अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। अपने उक्त अतिरिक्त हलफनामे में, याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त तथ्यों की गवाही दी। याचिकाकर्ता ने चीनी निर्यातकों द्वारा याचिकाकर्ता हेतु बनाए गए चालान सहित कई सहायक दस्तावेजों को भी अभिलेख पर रखा। याचिकाकर्ता ने अपने पैन AASPK4955A के तहत दाखिल आकलन वर्ष 2005-06 से 2015-16 से संबंधित अपने आयकर रिटर्न की प्रतियां भी अभिलेख पर रखीं। दस्तावेजों की अधिकता के साथ समर्थित उक्त अतिरिक्त हलफनामे को देखते हुए, यह तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का मामला प्रतीत नहीं होता है। यदि याचिकाकर्ता राजस्व को धोखा देना चाहता था, तो वह कपूर इलेक्ट्रिक मार्ट के मालिक के रूप में खातों की बही में आयात की घोषणा नहीं करता।

7. संक्षेप में, धारा 148क(घ) के तहत आक्षेपित आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस पारित किए गए थे और एक गैर-मौजूदा इकाई के

खिलाफ जारी किए गए थे, क्योंकि इसका अनुपालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, धारा 148क(घ) के तहत आक्षेपित आदेश और अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस, जिन दोनों को दिनांक 31.03.2023 जारी किया गया था, को रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार आगे के कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।

8. तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन का निपटान किया जाता है।

गिरीश कठपालिया, न्या.

राजीव शकधर, न्या.

2 जून, 2023/ए एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***Disclaimer:** The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*